महत्वपूर्ण

संख्या : शिक्षा–एच(25)बी(15)सामान्य निर्देश
निदेशालय उच्च शिक्षा हिमाचल प्रदेश

दिनॉक शिमला–171001,

सेवा में

2. समस्त उप निदेशक उच्च शिक्षा, हिमाचल प्रदेश ।
2. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय,हिमाचल प्रदेश ।
3. समस्त जांच अधिकारी, उच्चतर शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश।

विषयः– विभागीय जॉच पड़ताल बारे दिशा निर्देश ।

ज्ञापनः

उपरोक्त विषय पर इस निदेशालय के पत्र समसंख्यक दिनॉक 12.06.2018 जिसके अन्र्तगत 6 मद्दों पर आवश्यक कार्यवाही करने बारे आपको निर्देश दिये गये थे तथा की गई कार्यवाही से निदेशालय को 20.06.2018 तक अवगत करवाने बारे कहा गया था लेकिन लगभग एक माह बीत जाने के उपरान्त चाही गई सूचना निदेशालय में प्राप्त नही हुई है केवल जिला हमीरपुर से 3 में से एक, कॉगडा 78 में से 40, कुल्लु 14 में से 9, केलंग 3 में से एक, मण्डी 26 में से 12, सोलन 17 में से 7 रिपोर्टस निदेशालय में प्राप्त हुई है वो रिपोर्टस भी अधूरी है । जिला बिलासपुर 19, चम्बा 16, किन्नौर 01, सिरमौर 18, शिमला 26, उना 8 में से अभी तक कोई भी रिपोर्ट / सूचना निदेशालय में प्राप्त नहीं हुई है । इसके अतिरिक्त अन्य मद्दों पर भी किसी भी जिला से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

जैसाकि आप सभी को ज्ञात ही है कि सरकार द्वारा विभागीय जॉच पड़ताल को समय पर पूर्ण न करने बारे कड़ा संज्ञान लिया है तथा इस विषय में दिनॉक .7.06.2018 को समस्त उप शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा की बैठक निदेशालय में रखी गई थी । बैठक में भी यह निर्देश दिये गये थे कि सभी विभागीय जॉच पड़ताल की रिर्पोट 30.06.2018 तक निदेशालय को भेज दें । इसके अतिरिक्त बार–2 विभाग द्वारा आपको दूरभाष पर निर्देश देने के उपरान्त भी आपके स्तर पर कोई कार्यवाही नही की जा रही है ।

अतः आपको पुनः निर्देश दिये जाते है कि चाही गई सूचना/रिर्पोटस को समेकित रूप से दिनॉक 15.07.2018 तक अविलम्ब निदेशालय को विशेष सन्देश वाहक के माध्यम से उपलब्ध करवाएं ताकि समय रहते वस्तु स्थिति से सरकार को अवगत करवाया जा सके । साथ में यह भी निर्देश दिये जाते है कि मामलों में व्यक्तिगत रूचि लेते हुये हर माह की 5 तारीक तक दिनॉक 12.06.2018 के पत्र में दर्शाये गये 6 मद्दों बारे वस्तु स्थिति से निदेशालय को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें । किसी प्रकार की कोहताही के लिए आप स्वंय जिम्मेवार होगें ।

निदेशक उच्च शिक्षा
हिमाचल प्रदेश